राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी रणजीत सिंह आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 26/2023 अपील

1. गोपाल गुर्जर पुत्र कजोड गुर्जर निवासी दांतडा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
2. ब्रम्हाराम पिता कजोड गुर्जर, निवासी–दांतड़ा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
3. बाली पिता कजोड गुर्जर, निवासी–दांतड़ा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
4. मगनी पिता कजोड गुर्जर निवासी दांतडा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
5. रूकमणी पत्नी कजोड गुर्जर निवासी दांतडा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
6. सुगनी पिता कजोड गुर्जर निवासी दांतडा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
7. रामकुंवार पिता कजोड गुर्जर निवासी दांतडा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
8. धापु पत्नी पोखर गुर्जर, निवासी–दांतडा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
9. भागु पुत्र पोखर गुर्जर, निवासी–दांतडा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा

–अपीलार्थी

बनाम

1. खेमा पिता छोगा गुर्जर निवासी दांतडा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
2. रामा पिता सुरजा गुर्जर निवासी दांतडा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
3. महाराम पिता सुरजा गुर्जर निवासी दांतडा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
4. तुलसा पिता घीसा गुर्जर निवासी दांतडा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
5. पेमा पिता खमाण गुर्जर निवासी दांतडा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
6. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार हुरडा जिला भीलवाडा

–रेस्पोडेण्ट

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

अपील अंतर्गत धारा 225 आर०टी०ए

विरूद्ध

न्यायालय तहसीलदार हुरड़ा बप्रकरण संख्या 30/2011 निर्णय दिनांक 05.01.2011

उपस्थित –

1. श्री सत्यनारायण सोमाणी, अपीलाण्ट अधिवक्ता
2. राजकीय पेरोकार, रेस्पोन्डेन्ट–6 ओर से

निर्णय

06/04/2026

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाण्ट ने राजस्व ग्राम दांतडा, पटवार हल्का दांतडा, तहसील हुरडा जिला भीलवाडा की सरहद में अपीलाण्ट संख्या 1 से 7 के पूर्वज कजोड जी व अपीलाण्ट संख्या 8,9 व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 के संयुक्त खातेदारी अधिकार आधिपत्य की आराजी संख्या 1762 रकबा 2 विस्वा, 1779 रकबा 7 बिस्वा, 1812 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, 2253 रकबा 11 बीघा 5 बिस्वा व 2255 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा जिसका इन्द्राज जमाबंदी संवत 2065 से 2068 में हो रखा है। उक्त आराजियात जो शामलाती चली आ रही थी उसका तत्कालीन खातेदारान के मध्य आपसी सहमति से मौके

6-4-26
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

के कब्जे अनुसार विभाजन किये जाने हेतु आपसी सहमति हुई जिसके तहत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर कब्जे अनुसार बंटवाडा किये जाने का निवेदन किया गया, जिस अनुसार बंटवाडा किया उस अनुसार अपीलाण्टगण ने कोई सहमति, स्वीकृति अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नहीं दी थी। अपीलाण्टगण संख्या 1 से 7 के पूर्वज कजोड जी व अपीलाण्ट संख्या 9 जो केवल साक्षर है एवं अपीलाण्ट संख्या 8 जो कि अनपढ महिला है, उनके अज्ञानता का नाजायज लाभ उठाते हुए रेस्पोडेन्टगण ने अपनी इच्छा अनुसार आराजी संख्या 2253 व 2255 का ही बंटवाडा करवाया जो मौके की स्थिति व तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है तथा शेष आराजियात मे आराजी संख्या 1812 का कोई विभाजन नहीं किया गया, जबकि सम्पूर्ण खाते की भूमि का मौके पर कब्जे अनुसार बंटवाडा किया जाना था जो नहीं कर अधीनस्थ न्यायालय ने गम्भीर त्रुटि की है। पक्षकारान के मध्य मौके पर काबिज कब्जेकाश्त के अनुसार व आवागमन के रास्ते को छोडते हुए बंटवाडा किये जाने पर सहमत हुए थे लेकिन गलत बटवारा किया गया। उक्त बंटवाडा आदेश की पालना मे खोला गया नामान्तरण संख्या 2388 से पक्षकारान को कोई हक अधिकार हासिल नही होते हैं एवं ऐसा नामान्तरण आनुसंगिक कार्यवाही होने व फिस्कल प्रोसिडिंग होने से उससे कोई हक अधिकार किसी को हासिल नहीं होते हैं। प्रस्तुत इस अपील के अभी हाल ही में दिनांक 03/04/2023 को रेस्पोडेन्टगण द्वारा अपीलाण्टगण की कब्जेसुदा आराजियात मे अनाधिकार तौर दखलअंदाजी करते हुए कहा कि अपीलाण्टगण के कब्जेसुदा आराजियात उनके हक हिस्से में बंटवाडे से आई है इस कारण वे अपीलाण्टगण को मौके से बेदखल करेंगे इस पर अपीलाण्टगण ने ऐसा करने से मना किया एवं पटवारी हल्का से राजस्व रेकार्ड की जानकारी कर नकलें निकलवाई तब गलत तौर करवाये गये बंटवाडा आदेश की जानकारी हुई जिसकी तत्काल नकलें निकलाकर यह अपील जानकारी से अन्दर अवधि प्रस्तुत की जा रही है फिर भी जानकारी के अभाव में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने हेतु धारा 05 कानुन मियाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र अलग से प्रस्तुत है।

निवेदन हैं कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को अपास्त फरमाते हुए ग्राम दांतडा, पटवार हल्का दांतडा, तहसील हुरडा जिला भीलवाडा की सरहद में आराजी संख्या 1762 रकबा 2 बिस्वा, 1779 रकबा 7 बिस्वा, 1812 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, 2253 रकबा 11 बीघा 5 बिस्वा व 2255 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा का अपीलाण्ट को समुचित सुनवाई का अवसर देते हुए पुनः विभाजन किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किए गए। विपक्षीगण 4 व विपक्षीगण 1 ,2,3 व 5 के अधिवक्ता अनुपस्थित। विपक्षीगण 1 से 5 का जवाब/बहस बंद किया जाता है। प्रकरण में अपीलाण्ट अधिवक्ता व रेस्पोन्डेन्ट–6 पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का आघोपान्त अवलोकन किया गया।

दौराने बहस अपीलाण्ट अधिवक्ता ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिलाने हेतु पुनः विभाजन कराने हेतु निवेदन किया गया। दौराने बहस राजकीय पेरोकार ने अवगत कराया कि नियमानुसार ही सहमति से संबंधित आराजियात का तत्समय बटवाडा किया गया था। यह अपील अपीलाण्ट द्वारा वर्षों बाद पेश की गई जो मियाद बाहर ठहरती है। अतः अपील खारिज फरमावें।

प्रकरण में बहस पर मनन व पत्रावली अवलोकन यह पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सहमति विभाजन उभयपक्षों की सहमति से किया गया है। इस आधार पर अपील अस्वीकार योग्य है, अतएव–

आदेश

अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत अपील अंतर्गत Rajasthan Tenancy Act,1955 की धारा 225 विरूद्ध रेस्पोन्डेन्ट्स, सारहीन होने के कारण अस्वीकार की जाती है। निर्णय मेरे द्वारा दिनांक 06/04/2026 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

6.4.26

(रणजीत सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ (राज.)